

वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) से  
डाउन लोड किया जा सकता है।



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 42 ]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 16 अक्टूबर 2015-आश्विन 24, शके 1937

### भाग 3 ( 1 )

#### विज्ञापन

#### अन्य सूचनाएं

#### नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि पूर्व में मेरा नाम मोहम्मद मोतीवाला पिता श्री हैदर भाई था. मेरे सभी दस्तावेजों में मेरा नाम मोहम्मद अली मोतीवाला है. अब मुझे मोहम्मद अली मोतीवाला के नाम से जाना एवं पहचाना जावे.

पुराना नाम :

( मोहम्मद मोतीवाला )

(387-बी.)

नया नाम :

( मोहम्मद अली मोतीवाला )

वोहरा जमात का बाग,  
बिलोंटा पुरा, वीर दुर्गादास मार्ग,  
उज्जैन (म.प्र.).

#### CHANGE OF NAME

This is to inform General public that my name Jitu Prasad S/o Shri Lal Mohan Sahu is mentioned in all my deeds and documents. Now I have change my name Jeetu Prasad S/o Shri Lal Mohan Sahu so that in future I shall be known by my new name as Jeetu Prasad.

Old Name :

( JITU PRASAD )

(388-B.)

New Name :

( JEETU PRASAD )

S/o Lal Mohan Sahu,  
H. No. 157/1, Uprainganj Cherital,  
Damohnaka, Jabalpur (M.P.).

#### नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि स्कूल, कॉलेज की अंकसूचियों/डिग्रियों में मेरा नाम पंकज कुमार राठौर है जबकि पेन कार्ड, वोटर आई. डी. एवं आधार कार्ड में मेरा नाम पंकज राठौड़ है. मेरा वास्तविक नाम पंकज राठौड़ है एवं भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना जाये.

पुराना नाम :

( पंकज कुमार राठौर )

(389-बी.)

नया नाम :

( पंकज राठौड़ )

18-ए, शुभ-लाभ एवेन्यू कनाड़िया रोड,  
वैभव नगर के पास, इंदौर.

**नाम परिवर्तन**

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है पूर्व में मेरा नाम उपनाम सहित मुन्ना लाल शर्मा (MUNNA LAL SHARMA) से परिवर्तित होकर मेरा नया नाम उपनाम सहित मनोहर लाल शर्मा (MANOHAR LAL SHARMA) हो गया है. अतः मुझे नये नाम मनोहर लाल शर्मा (MANOHAR LAL SHARMA) से जाना एवं पहचाना जाये.

पुराना नाम :

( मुन्ना लाल शर्मा )  
( MUNNA LAL SHARMA )

(390-बी.)

नया नाम :

( मनोहर लाल शर्मा )  
( MANOHAR LAL SHARMA )  
निवासी-मकान नं. 105, गांधी मार्ग,  
वार्ड नं. 8, तहसील सरदारपुर, राजगढ़,  
जिला धार (म.प्र.).

**नाम परिवर्तन**

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि पूर्व में मेरा नाम ऐलिजाबेथ डिसूजा था. जिसे मैंने अपना धर्म परिवर्तन करके श्रीमती जिनत खान कर लिया है. अतः अब मुझे मेरे नए नाम श्रीमती जिनत खान पति अब्दुल अजीज खान से ही लिखा-पढ़ा एवं जाना-पहचाना जावे.

पुराना नाम :

( ऐलिजाबेथ डिसूजा )

(391-बी.)

नया नाम :

( जिनत खान )  
पति-अब्दुल अजीज खान,  
वार्ड 11, श्रीनगर कॉलोनी धार,  
जिला धार (म.प्र.).

**नाम परिवर्तन**

मेरा पूर्व में नाम मनीष झाबक आ. श्री मूलचंद झाबक था. आज से मेरा परिवर्तित नया नाम मनीष जैन आ. श्री मूलचंद झाबक हो गया है. लिहाजा आज के बाद भविष्य में मुझे श्री मनीष जैन आ. श्री मूलचंद झाबक के नाम से जाना, पहचाना जावे.

पुराना नाम :

( मनीष झाबक )

(392-बी.)

नया नाम :

( मनीष जैन )  
निवासी-ए-81, हाउसिंग बोर्ड,  
कोहेफिजा, भोपाल (म.प्र.).

**उप-नाम परिवर्तन**

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि पूर्व में मेरा नाम मोना बाकलीवाल पत्नि श्री जितेन्द्र बाकलीवाल था. अब वर्तमान में मेरा नाम MONA JAIN BAKLIWAL है भविष्य में मुझे MONA JAIN BAKLIWAL पत्नि श्री JITENDRA BAKLIWAL के नाम से जाना व पहचाना जाए.

पुराना नाम :

( MONA BAKLIWAL )

(393-बी.)

नया नाम :

( MONA JAIN BAKLIWAL )  
MIG 42, कोटरा सुल्तानाबाद,  
भोपाल (म.प्र.).

**आम सूचना**

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मे. सुनील सर्विस स्टेशन पार्टनर शीप फर्म के रूप में सहायक पंजीयक कार्यालय फर्म्स एवं संस्थाएं इन्दौर में पंजीकृत फर्म है. जिसमें भागीदार श्री रमेशचन्द्र अग्रवाल पिता श्री नारायणदासजी अग्रवाल, निवासी-19, आर. एस. भण्डारी मार्ग, इन्दौर दिनांक 24 मार्च, 2009 को मृत्यु हो जाने से फर्म के भागीदार नहीं रहे साथ ही दिनांक 31-03-2014 को श्री सुनील अग्रवाल पिता श्री रमेशचन्द्र अग्रवाल, निवासी-19, आर. एस. भण्डारी मार्ग, इन्दौर ने स्वेच्छा से फर्म से भागीदार के पद से त्याग-पत्र दे दिया है. यह सूचना इण्डियन पार्टनरशीप एक्ट, 1932 के अंतर्गत पालनार्थ.

(394-बी.)

For : Sunil Service Station,

संजय अग्रवाल,  
(Partner).

पलासिया चौराहा, इन्दौर (म.प्र.).

## विविध

### न्यायालयों की सूचनाएं

#### न्यायालय पंजीयक, लोक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी, ग्वालियर

प्र.क्र. 06/2014-15/बी-113(1).

ग्वालियर, दिनांक 28 सितम्बर, 2015

#### प्रारूप-4

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम (1951 का 30) की धारा-5 की उपधारा (2) और

मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम 1962 का नियम-5 (1) देखिए]

श्री नवीन कुमार निगोतिया पुत्र श्री मोहनलाल गुप्ता, निवासी-202, बिहारी कुंज अपार्टमेन्ट, निम्बालकर की गोठ, No. 2, लश्कर, जिला ग्वालियर मध्यप्रदेश, मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा-4 के अधीन अनुसूची में लोक न्यास की तरह विनिर्दिष्ट की गई सम्पत्ति के पंजीयन के लिये आवेदन किया है. एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि आवेदन मेरे न्यायालय में दिनांक 30 अक्टूबर, 2015 को विचार के लिये दिया जावेगा.

कोई व्यक्ति जो उक्त न्यास या सम्पत्ति में हित रखता हो और उस बारे में कोई आपत्तियां करने या सुझाव देने पर विचार रखता हो, तो उसे इस सूचना को लोक न्यास को दे जिसका कि वह गठन करती है.

अतः मैं, पंजीयक, लोक न्यास, अनुविभागीय ग्वालियर लोक न्यासों का पंजीयक अपने न्यायालय में दिनांक 30 अक्टूबर, 2015 को उक्त अधिनियम की धारा-5 की उपधारा (1) में द्वारा यह अपेक्षित जांच करना प्रस्तावित करता हूँ.

अतः एतद्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त न्यास या सम्पत्ति का कोई न्यासधारी या कार्यकारी न्यासधारी या उसमें हित रखने वाली और किसी आपत्ति का सुझाव प्रस्तुत करने का विचार रखने वाले व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना और कोर्ट में मेरे समक्ष उपरोक्त दिनांक को या तो व्यक्तिशः या अभिभाषक या अधिकर्ता के द्वारा उपस्थित होना चाहिये. उपरोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिए ग्रहण नहीं किया जावेगा.

#### अनुसूची

(लोक न्यास का नाम और पता तथा सम्पत्ति का वर्णन )

- |                               |   |  |
|-------------------------------|---|--|
| 1. लोक न्यास का नाम<br>और पता | : | “स्वेदशी मंच भारत ट्रस्ट”<br>202, बिहारी कुंज अपार्टमेन्ट, निम्बालकर की गोठ,<br>No. 2, लश्कर, जिला ग्वालियर मध्यप्रदेश |
| 2. चल सम्पत्ति                | : | 11,000/- रुपये.  |
| 3. अचल सम्पत्ति               | : | निरंक.   |

महीप तेजस्वी,  
पंजीयक.

(529)

#### न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी, अनुभाग-मझगवाँ एवं पंजीयक, लोक न्यास, जिला सतना

प्रारूप क्रमांक-4

[देखें नियम-5 (1)]

[मध्यप्रदेश लोक अधिनियम, 1951 (1951 का 30) और मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 के नियम-5 (1) के द्वारा]

लोक न्यासों के पंजीयक सतना, जिला के समक्ष.

अतः कि श्री प्रेम जी (प्रेम कुमार सिंह) शिष्य स्व. श्री रघुवीर दास जी उर्फ चन्द्रभान महाराज, निवासी-मुक्ति दाता धाम आश्रम सिद्ध बाबा की बगिया (चँदई कठौता मझगवाँ), जिला सतना ने मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा-4 के अन्तर्गत एक आवेदन अनुसूची में विनिर्दिष्ट सम्पत्ति के लिए लोक न्यास के रूप में पंजीकृत किए जाने के लिए आवेदन किया है, एतद्वारा सूचना-पत्र दिया जाता है कि कथित आवेदन पर दिनांक 27 सितम्बर, 2015 को मेरे न्यायालय में विचार में लिया जाएगा.

किसी आपत्ति या सुझाव को करने का आशय रखते हुए कथित न्यास या सम्पत्ति में हितबद्ध कोई व्यक्ति को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना चाहिए और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिशः अथवा प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिए. उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरांत प्राप्त आपत्तियों को विचार में नहीं लिया जाएगा.

### अनुसूची

(लोक न्यास का नाम और पता व सम्पत्ति का विवरण)

1. न्यास का नाम और पता : श्री भगवत भक्त सेवक समाज मुक्ति दाता धाम आश्रम ट्रस्ट (बी. बी. एस. एस.) सिद्ध बाबा की बगिया चँदई कठौता, तहसील मझगवाँ, जिला सतना मध्यप्रदेश.
2. अचल सम्पत्ति : ग्राम-कठौता की आराजी नं. 251/1/1/ग, रकवा 3.135 हे.
3. चल सम्पत्ति : 24,000/- (चौबीस हजार रुपये मात्र).

### प्रारूप-5

[देखें नियम-5 (1)]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) और मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम 1962 के नियम-5 (1) के द्वारा]

लोक न्यासों के पंजीयक, जिला सतना के समक्ष.

अतः मुझे यह प्रतीत होता है कि अनुसूची में विनिर्दिष्ट सम्पत्ति मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा-2 की उपधारा (4) के आशय के अधीन लोक न्यास का गठन करती है.

अब इसलिए मैं, दीपक वैद्य, जिला सतना लोक न्यासों का पंजीयक, अपने न्यायालय में दिनांक 27 सितम्बर, 2015 को कथित अधिनियम की धारा-5 की उपधारा (1) द्वारा यथाअपेक्षित जांच करना प्रस्तावित करता हूँ.

अतः एतद्वारा सूचना दी जाती है कि कथित न्यास का सम्पत्ति का कोई न्यासी या कार्यकारी न्यासी या इसमें हितबद्ध कोई व्यक्ति और आपत्ति या सुझाव देने का आशय रखने वाले को दो प्रतियों में नियत दिनांक 27 अक्टूबर, 2015 के भीतर लिखित कथन प्रस्तुत करना चाहिए और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिशः या प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिए. उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरांत प्राप्त आपत्तियों को विचार में नहीं लिया जावेगा.

दीपक वैद्य,

अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक.

(530)

### अन्य सूचनाएं

#### कार्यालय परिसमापक एवं सहकारी समिति मर्यादित, जिला हरदा

हरदा, दिनांक 08 अप्रैल, 2015

[मध्यप्रदेश सहकारी समिति नियम-1962 के नियम-57 सी अंतर्गत सूचना-पत्र]

क्रमांक/परि./2015/A.—सर्व-साधारण की जानकारी हेतु यह सूचना प्रकाशित की जाती है कि सहायक पंजीयक, सहकारी समितियां जिला हरदा के कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परिसमापन/2014/551 हरदा, दिनांक 06 अगस्त, 2014 द्वारा निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर अधोहस्ताक्षरकर्ता को परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्रमांक	सहकारी समिति का नाम	पंजीयन क्रमांक व दिनांक
1.	2.	3.
1.	नर्मदा बीज उत्पा. सहकारिता मर्या., आलमपुर	11/16-06-2002
2.	मधुवन बीज उत्पा. सहकारिता मर्या., चौकडी	16/31-07-2014
3.	प्रगति पोषण आहार सहकारिता मर्या., पोखरनी	81/15-03-2004
4.	जयश्री बलराम बीज उत्पा. सहकारिता मर्या., जिनवान्या	17/12-08-2002
5.	श्री दयाल महिला साख सहकारिता मर्या., राजाबारी	40/08-07-2003
6.	अजनाल महिला साख सहकारिता मर्या., नजरपुरा	42/17-09-2003
7.	जयबलराम बीज उत्पादक क्रय-विक्रय सहकारिता मर्या., दीपगाँवखुर्द.	101/13-07-2009

1.	2.	3.
8.	श्री साईं बीज उत्पा. सहकारिता मर्या., बालागांव	106/03-03-2010
9.	श्री महालक्ष्मी बीज उत्पा. सहकारिता मर्या., पिडगांव	107/10-03-2010
10.	श्री रामचन्द्र बीज उत्पा. सहकारिता मर्या., भवरास	116/09-07-2012
11.	श्री नर्मदा यातायात उत्पा. सहकारिता मर्या., हरदा	02/11-03-2002
12.	रेवा यातायात सहकारिता मर्या., टिमरनी	22/11-10-2002

अतः मैं, कंचन बाला सोनी, सहकारी निरीक्षक एवं परिसमापक, सहकारी समितियां, जिला हरदा मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 (17 वां) सन् 1961 की धारा-71 के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1962 के नियम क्रमांक-57 सी के अनुसार यह सूचना प्रकाशित करती हूँ कि उक्त समितियों के विरुद्ध जो भी लेनदारी एवं ऋण देना बकाया निकलता हो, प्रमाण सहित अपने दावे यदि कोई हो तो इस सूचना प्रसारण के दो माह की अवधि में मेरे समक्ष मेरे कार्यालय में कार्यालयीन समय में प्रस्तुत करें.

उक्त अवधि के पश्चात् प्रस्तुत दावों पर कोई उजरदारी मान्य नहीं होगी एवं संस्थाओं के उपलब्ध लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त लेन एवं दायित्वों को उक्त उल्लेखित विधान एवं नियमों के अंतर्गत परिसमापक को विधिवत् प्रस्तुत किया गया ऐसा समझा जावेगा.

यह भी प्रकाशित किया जाता है कि उपरोक्त लिखित सहकारी समितियों से संबंधित कोई भी कागजात सामान, देनदारियां आदि किसी भी व्यक्ति के पास हो तो वह इस सूचना प्रकाशित होने की दिनांक से एक सप्ताह के अन्दर उल्लेखित कार्यालय में मेरे पास जमा कर देंगे. समयावधि के भीतर कागजात व सामान जमा न करने पर वे जुर्म के भागीदार होंगे.

कंचन बाला सोनी,

परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक.

(509)

### कार्यालय उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी, जिला धार

धार, दिनांक 03 सितम्बर, 2015

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2015/1414.—कार्यालयीन कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2015/1326, धार, दिनांक 17 अगस्त, 2015 के अनुसार बाग बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बाग, तहसील कुक्षी, जिला धार, जिसका पंजीयन क्रमांक 1250, दिनांक 04 जून, 2009 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था. नियत दिनांक को संस्था प्रशासक श्री जी. एस. कनेश, सहकारी निरीक्षक के प्रस्तुत पत्र दिनांक 24 अगस्त, 2015 अनुसार संस्था विगत वर्षों से निष्क्रिय है. संस्था कोई लेन-देन का कार्य नहीं कर रही है तथा निर्वाचन नहीं कराते हुए संस्था को बंद करने हेतु लिखा गया है एवं संस्था को परिसमापन में लाने की अनुशंसा की गई है. संस्था मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं नियम 1962 तथा पंजीकृत उपविधियों के प्रावधानों का पालन नहीं कर रही है. इससे स्पष्ट होता है कि संस्था अकार्यशील होकर अपने उद्देश्य के अनुरूप कार्य नहीं कर रही है.

अतः मैं, ओ. पी. गुप्ता, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी, जिला धार मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए बाग बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बाग को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत परिसमापन में लाते हुए धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री जी. एस. कनेश, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 03 सितम्बर, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

ओ. पी. गुप्ता,

उप-रजिस्ट्रार.

(525)

### कार्यालय उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला सतना

सतना, दिनांक 08 सितम्बर, 2015

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2015/995.—विपणन एवं प्रक्रिया सहकारी समिति मर्या., रामनगर पंजीयन क्रमांक 791, दिनांक 01 मई, 2013 को निम्नलिखित

कारणों से मध्यप्रदेश सहकारी समितियों अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के तहत परिसमापन में लाये जाने योग्य हो गई है:-

1. संस्था को कार्यालयीन पत्र क्रमांक/निर्वाचन/2015/467, दिनांक 15 मई, 2015 द्वारा समिति कार्यक्षेत्र अंतर्गत कम से कम 5 कृषि साख सहकारी समितियों को सदस्य बनाये जाने हेतु निर्देशित किया गया था. संस्था कृषि साख समितियों को सदस्य बनाने में असफल रही है.
2. संस्था में अध्यक्ष/संचालक मण्डल पंजीयन दिनांक से छः माह की अवधि के लिये नामंकित था. संस्था का पंजीयन हुये दो वर्ष से अधिक का समय व्यतीत हो चुका है. संस्था निर्वाचन कराने में असफल रही है.
3. प्रबंधकारिणी समिति की बैठकें संस्था की उपविधि के अनुसार नहीं की गई हैं.
4. निर्वाचन प्राधिकारी का पत्र क्रमांक/सह.नि.प्रा./2014/4411, दिनांक 28 जुलाई, 2014 द्वारा कृषि साख सहकारी समितियों के प्रतिनिधियों की सूची, निर्धारित प्रारूप छः एक में चाही गयी थी. संस्था प्रस्तुत करने में असफल रही है.

अतः मैं, आर. पी. पाल, उप-पंजीयक सहकारी संस्थाएं, सतना मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग मंत्रालय, भोपाल के विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर अवगत करवाता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत परिसमापित करते हुये धारा-70 के अंतर्गत परिसमापक की नियुक्ति की जावे, इस कारण बताओ सूचना-पत्र को आपके अधिकृत व्यक्ति द्वारा इस कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रतिउत्तर साक्ष्य, दस्तावेज, अभिलेख सहित दिनांक 23 सितम्बर, 2015 को कार्यालयीन समय में प्रस्तुत किया जावे.

उक्त तिथि को प्रतिउत्तर प्रस्तुत नहीं होने की दशा में यह माना जावेगा. कि संस्था को उक्त आरोप स्वीकार है एवं संस्था को अपने पक्ष में कुछ नहीं कहना है. प्रकरण में विधि अनुकूल कार्यवाही कर दी जावेगी.

कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 08 सितम्बर, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

आर. पी. पाल,

उपायुक्त.

(526)

### कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा

विदिशा, दिनांक 26 अगस्त, 2015

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/2006/298, विदिशा, दिनांक 06 मार्च, 2006 से तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, सीहोरा, तहसील कुरवाई, जिला विदिशा, जिसका पंजीयन क्रमांक/ए.आर./व्ही.डी.एस./416, दिनांक 29 अक्टूबर, 1992 को परिसमापन में लाया जाकर श्री आर. एस. उपाध्याय, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा को संस्था का समापक नियुक्त किया गया था.

समापक द्वारा तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, सीहोरा, तहसील कुरवाई, जिला विदिशा की परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर संस्था का अन्तिम प्रतिवेदन संस्था का पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा के साथ प्रस्ताव प्रस्तुत किया है.

मैं, समापक के द्वारा की गई कार्यवाही का अवलोकन करने के पश्चात् इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतः मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99/एक-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, सीहोरा, तहसील कुरवाई, जिला विदिशा, जिसका पंजीयन क्रमांक/ए.आर./व्ही.डी.एस./416, दिनांक 29 अक्टूबर, 1992 का पंजीयन निरस्त करते हुए उसका निगम निकाय (बॉडी-कार्पोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 26 अगस्त, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(531)

विदिशा, दिनांक 26 अगस्त, 2015

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/2001/1881, विदिशा, दिनांक 29 अक्टूबर, 2001 से तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, लचायरा, तहसील कुरवाई, जिला विदिशा, जिसका पंजीयन क्रमांक/ए.आर./व्ही.डी.एस./423, दिनांक 31 मार्च, 1992 को परिसमापन में लाया जाकर श्री आर. एस. उपाध्याय, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा को संस्था का समापक नियुक्त किया गया था.

समापक द्वारा तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, लचायरा, तहसील कुरवाई, जिला विदिशा की परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर संस्था का अन्तिम प्रतिवेदन संस्था का पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा के साथ प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।

मैं, समापक के द्वारा की गई कार्यवाही का अवलोकन करने के पश्चात् इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99/एक-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, लचायरा, तहसील कुरवाई, जिला विदिशा, जिसका पंजीयन क्रमांक/ए.आर./व्ही.डी.एस./423, दिनांक 31 मार्च, 1992 का पंजीयन निरस्त करते हुए उसका निगम निकाय (बॉडी-कापोरिट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 28 अगस्त, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

भूपेन्द्र प्रताप सिंह,  
उप-पंजीयक.

(531-A)

### कार्यालय उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटीज, जिला सीधी

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (4) के अन्तर्गत]

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/2012/770, दिनांक 04 जून, 2012 के द्वारा श्री राम आदिवासी मछली पालन सहकारी समिति मर्या., गजरी, जिला सीधी जिसका पंजीयन क्रमांक AR/SDH/1015, दिनांक 13 जुलाई, 2005 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन अन्तर्गत लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत परिसमापक की नियुक्ति की गई थी. तदोपरान्त संशोधित आदेश क्रमांक/परिसमापन/2014/788, दिनांक 08 अगस्त, 2014 के द्वारा श्री सत्य प्रकाश पाण्डेवा, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया।

परिसमापक श्री पाण्डेवा द्वारा अपने पत्र दिनांक 03 अगस्त, 2015 से संस्था के सदस्यों की आमसभा दिनांक 02 अगस्त, 2015 जिसमें उपस्थित सदस्यों द्वारा संस्था को पुनर्जीवित करने सम्बन्धी प्रस्ताव पारित किया गया है, संलग्न कर संस्था को पुनर्जीवित करने की अनुशंसा की गई है।

प्रस्ताव के साथ प्रस्तुत तथ्यों के अवलोकन उपरान्त मेरी राय में श्री राम आदिवासी मछली पालन सहकारी समिति मर्या., गजरी, जिला सीधी का अस्तित्व में बने रहना उसके सदस्यों के हित में आवश्यक है।

अतः मैं, आर. पी. पाल, उप-रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटीज, जिला सीधी, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (4) के तहत पंजीयक के अधिकार जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग मंत्रालय भोपाल के विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, का प्रयोग करते हुये श्री राम आदिवासी मछली पालन सहकारी समिति मर्या., गजरी, जिला सीधी जिसका पंजीयन क्रमांक AR/SDH/1015, दिनांक 13 जुलाई, 2005 है, को एतद्वारा परिसमापन से मुक्त करता हूँ तथा कार्य संचालन हेतु आगामी तीन माह के लिए संस्था के सदस्यों में से निम्नानुसार संचालक मण्डल नामांकित करता हूँ:-

- |                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| 1. श्री रामनाथ              | अध्यक्ष   |
| 2. श्रीमती राजवती सिंह गोंड | उपाध्यक्ष |
| 3. श्री राजमणि कोल          | उपाध्यक्ष |
| 4. श्री राजपति              | संचालक    |
| 5. श्री जमुना कोल           | संचालक    |
| 6. श्री रमेश अगरिया         | संचालक    |
| 7. श्री रामलखन कोल          | संचालक    |
| 8. श्रीमती पानवती पनिका     | संचालक    |
| 9. श्रीमती ओमवती गोंड       | संचालक    |
| 10. श्रीमती अनीता अगरिया    | संचालक    |
| 11. श्री रामकरण             | संचालक    |

यह आदेश आज दिनांक 5 अगस्त, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

आर. पी. पाल,  
उप-रजिस्ट्रार.

(532)

**कार्यालय सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, पन्ना, जिला पन्ना**

दिनांक 05 अक्टूबर, 2015

**कारण बताओ सूचना-पत्र**

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रशासक, (श्री व्ही. के. दीक्षित,  
सहकारी निरीक्षक सहकारी संस्थाएं, पन्ना)  
राजपूत बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या.,  
महोडकला.

इस सूचना-पत्र के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि सहायक पंजीयक (अंके.) सहकारी संस्थाएं, पन्ना द्वारा इस कार्यालय को लेख किया गया है कि संस्था द्वारा वर्ष 2011-12 से 2013-14 तक के अंकेक्षण हेतु उनके द्वारा नियुक्त अंकेक्षक को अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये गये एवं और न ही संस्था के वित्तीय पत्रक निर्धारित अवधि में प्रस्तुत किये गये हैं। जिससे आपकी संस्था अंकेक्षण कराने में चूक कर रही है। इस प्रकार आपके द्वारा अधिनियम, नियम एवं उपविधियों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है। अतः राजपूत बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., महोडकला, जिला पन्ना (म.प्र.) पंजीयन क्रमांक/ए.आर.पी./637, दिनांक 26 सितम्बर, 2008 को निम्नलिखित कारणों से मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के तहत परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है:-

1. संस्था द्वारा निर्वाचन निर्धारित समयवधि में नहीं कराया गया है।
2. संस्था के संचालक मण्डल की बैठकें एवं वार्षिक आमसभा का आयोजन पंजीकृत उपविधि में वर्णित प्रावधानों के तहत नहीं की जा रही है।
3. संस्था द्वारा अपने सदस्यों के हितों के संबर्धन के लिये कोई रुचि नहीं ली जा रही है।
4. संस्था के अभिलेख तात्वीख संधारित नहीं कराये गये हैं, न ही अंकेक्षक को समय पर वित्तीय पत्रक आदि वर्ष 2011-12 से 2013-14 तक के उपलब्ध कराये जा रहे हैं।

इस प्रकार सोसायटी ने मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं संस्था की उपविधियों का अनुपालन करना बंद कर दिया है, उपरोक्त कारणों से यह प्रतीत होता है कि संस्था अपने उद्देश्यों के अनुसार संस्था हित में कार्य नहीं कर रही है।

अतः मैं, जी. एस. आठिया, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, पन्ना, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-1-पन्द्रह-1-डी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न संस्था को उपरोक्त अधिनियम की धारा-69 (1) के तहत परिसमापन किया जाकर धारा-70 के तहत परिसमापक की नियुक्ति कर दी जावे।

उक्त कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रत्युत्तर सूचना-पत्र प्राप्त के 30 दिवस के भीतर इस कार्यालय में अनिवार्यतः प्रस्तुत किया जावे, यदि प्रशासक/प्रबंधक व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर प्रत्युत्तर प्रस्तुत करना चाहे तो दिनांक 26 अक्टूबर, 2015 को मेरे समक्ष कार्यालयीन समय में कार्यालय में उपस्थित होकर प्रत्युत्तर प्रस्तुत कर सकते हैं।

इस पत्र का प्रत्युत्तर इस कार्यालय में प्राप्त न होने पर यह माना जाकर कि संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु कोई आपत्ति नहीं है। सदस्य संस्था का परिसमापन चाहते हैं, संस्था को परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक की नियुक्ति कर दी जावेगी।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 22 सितम्बर, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(533)

**कारण बताओ सूचना-पत्र**

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रशासक, (श्री धीरेन्द्र कुमार कुशवाह,  
उप-अंकेक्षक सहकारी संस्थाएं, पन्ना)  
अजयपाल, बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या.,  
कल्याणपुर.

इस सूचना-पत्र के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि सहायक पंजीयक (अंके.) सहकारी संस्थाएं, पन्ना द्वारा इस कार्यालय को



लेख किया गया है कि संस्था द्वारा वर्ष 2008-09 से 2013-14 तक के अंकेक्षण हेतु उनके द्वारा नियुक्त अंकेक्षक को अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये गये एवं और न ही संस्था के वित्तीय पत्रक निर्धारित अवधि में प्रस्तुत किये गये हैं। जिससे आपकी संस्था अंकेक्षण कराने में चूक कर रही है। इस प्रकार आपके द्वारा अधिनियम, नियम एवं उपविधियों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है। अतः अजयपाल, बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., कल्याणपुर, जिला पन्ना (म.प्र.) पंजीयन क्रमांक/ए.आर.पी./421, दिनांक 30 सितम्बर, 2002 को निम्नलिखित कारणों से मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के तहत परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है:-

1. संस्था द्वारा निर्वाचन निर्धारित समयावधि में नहीं कराया गया है।
2. संस्था के संचालक मण्डल की बैठकें एवं वार्षिक आमसभा का आयोजन पंजीकृत उपविधि में वर्णित प्रावधानों के तहत नहीं की जा रही है।
3. संस्था द्वारा अपने सदस्यों के हितों के संबर्धन के लिये कोई रुचि नहीं ली जा रही है।
4. संस्था के अभिलेख तात्वीख संधारित नहीं कराये गये हैं, न ही अंकेक्षक को समय पर वित्तीय पत्रक आदि वर्ष 2008-09 से 2013-14 तक के उपलब्ध कराये जा रहे हैं।

इस प्रकार सोसायटी ने मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं संस्था की उपविधियों का अनुपालन करना बंद कर दिया है, उपरोक्त कारणों से यह प्रतीत होता है कि संस्था अपने उद्देश्यों के अनुसार संस्था हित में कार्य नहीं कर रही है।

अतः मैं, जी. एस. आठिया, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, पन्ना, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-1-पन्द्रह-1-डी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न संस्था को उपरोक्त अधिनियम की धारा-69 (1) के तहत परिसमापन किया जाकर धारा-70 के तहत परिसमापक की नियुक्ति कर दी जावे।

उक्त कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रत्युत्तर सूचना-पत्र प्राप्त के 30 दिवस के भीतर इस कार्यालय में अनिवार्यतः प्रस्तुत किया जावे, यदि प्रशासक/प्रबंधक व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर प्रत्युत्तर प्रस्तुत करना चाहे तो दिनांक 26 अक्टूबर, 2015 को मेरे समक्ष कार्यालयीन समय में कार्यालय में उपस्थित होकर प्रत्युत्तर प्रस्तुत कर सकते हैं।

इस पत्र का प्रत्युत्तर इस कार्यालय में प्राप्त न होने पर यह माना जाकर कि संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु कोई आपत्ति नहीं है। सदस्य संस्था का परिसमापन चाहते हैं, संस्था को परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक की नियुक्ति कर दी जावेगी।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 22 सितम्बर, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(533-A)

#### कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

संचालक मण्डल,  
किसान बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या.,  
सुन्दरा ग्रा. पो. सुन्दरा, तहसील देवेन्द्र नगर,  
जिला पन्ना (म.प्र.)

द्वारा:- अध्यक्ष, किसान बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., सुन्दरा.

इस सूचना-पत्र के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि सहायक पंजीयक (अंके.) सहकारी संस्थाएं, पन्ना द्वारा इस कार्यालय को लेख किया गया है कि संस्था द्वारा वर्ष 2011-12 से 2013-14 तक के अंकेक्षण हेतु उनके द्वारा नियुक्त अंकेक्षक को अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये गये एवं और न ही संस्था के वित्तीय पत्रक निर्धारित अवधि में प्रस्तुत किये गये हैं। जिससे आपकी संस्था अंकेक्षण कराने में चूक कर रही है। इस प्रकार आपके द्वारा अधिनियम, नियम एवं उपविधियों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है। अतः किसान बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., सुन्दरा, जिला पन्ना (म.प्र.) पंजीयन क्रमांक/ए.आर.पी./562, दिनांक 30 सितम्बर, 2003 को निम्नलिखित कारणों से मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के तहत परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है:-

1. संस्था द्वारा निर्वाचन निर्धारित समयावधि में नहीं कराया गया है।
2. संस्था के संचालक मण्डल की बैठकें एवं वार्षिक आमसभा का आयोजन पंजीकृत उपविधि में वर्णित प्रावधानों के तहत नहीं की जा रही है।

3. संस्था द्वारा अपने सदस्यों के हितों के संबर्धन के लिये कोई रुचि नहीं ली जा रही है.
4. संस्था के अभिलेख तातीख संधारित नहीं कराये गये हैं, न ही अंकेक्षक को समय पर वित्तीय पत्रक आदि वर्ष 2011-12 से 2013-14 तक के उपलब्ध कराये जा रहे हैं.

इस प्रकार सोसायटी ने मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं संस्था की उपविधियों का अनुपालन करना बंद कर दिया है, उपरोक्त कारणों से यह प्रतीत होता है कि संस्था अपने उद्देश्यों के अनुसार संस्था हित में कार्य नहीं कर रही है.

अतः मैं, जी. एस. आठिया, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, पन्ना, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-1-पन्द्रह-1-डी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न संस्था को उपरोक्त अधिनियम की धारा-69 (1) के तहत परिसमापन किया जाकर धारा-70 के तहत परिसमापक की नियुक्ति कर दी जावे.

उक्त कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रत्युत्तर संचालक मण्डल के सदस्यों द्वारा सूचना-पत्र प्राप्ति के 30 दिवस के भीतर इस कार्यालय में अनिवार्यतः प्रस्तुत किया जावे, यदि अध्यक्ष/प्रबंधक संचालक मण्डल के सदस्यगण व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर प्रत्युत्तर प्रस्तुत करना चाहे तो दिनांक 26 अक्टूबर, 2015 को मेरे समक्ष कार्यालयीन समय में कार्यालय में उपस्थित होकर प्रत्युत्तर प्रस्तुत कर सकते हैं.

इस पत्र का प्रत्युत्तर इस कार्यालय में प्राप्त न होने पर यह माना जाकर कि संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु कोई आपत्ति नहीं है. सदस्य संस्था का परिसमापन चाहते हैं, संस्था को परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक की नियुक्ति कर दी जावेगी.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 22 सितम्बर, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(533-B)

### कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

संचालक मण्डल,

मोहनजू बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या.,  
पडरियाकला, पो. पडरियाकला, तहसील-पबई,  
जिला पन्ना (म.प्र.)

द्वारा:- अध्यक्ष, मोहनजू बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., पडरियाकला

इस सूचना-पत्र के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि सहायक पंजीयक (अंके.) सहकारी संस्थाएं, पन्ना द्वारा इस कार्यालय को लेख किया गया है कि संस्था द्वारा वर्ष 2012-13 से 2013-14 तक के अंकेक्षण हेतु उनके द्वारा नियुक्त अंकेक्षक को अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये गये एवं और न ही संस्था के वित्तीय पत्रक निर्धारित अवधि में प्रस्तुत किये गये हैं. जिससे आपकी संस्था अंकेक्षण कराने में चूक कर रही है. इस प्रकार आपके द्वारा अधिनियम, नियम एवं उपविधियों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है. अतः मोहनजू बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., पडरियाकला, जिला पन्ना (म.प्र.) पंजीयन क्रमांक/ए.आर.पी./645, दिनांक 21 अप्रैल, 2014 को निम्नलिखित कारणों से मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के तहत परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है:-

1. संस्था द्वारा निर्वाचन निर्धारित समयावधि में नहीं कराया गया है.
2. संस्था के संचालक मण्डल की बैठकें एवं वार्षिक आमसभा का आयोजन पंजीकृत उपविधि में वर्णित प्रावधानों के तहत नहीं की जा रही है.
3. संस्था द्वारा अपने सदस्यों के हितों के संबर्धन के लिये कोई रुचि नहीं ली जा रही है.
4. संस्था के अभिलेख तातीख संधारित नहीं कराये गये हैं, न ही अंकेक्षक को समय पर वित्तीय पत्रक आदि वर्ष 2012-13 से 2013-14 तक के उपलब्ध कराये जा रहे हैं.

इस प्रकार सोसायटी ने मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं संस्था की उपविधियों का अनुपालन करना बंद कर दिया है, उपरोक्त कारणों से यह प्रतीत होता है कि संस्था अपने उद्देश्यों के अनुसार संस्था हित में कार्य नहीं कर रही है.

अतः मैं, जी. एस. आठिया, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, पन्ना, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-1-पन्द्रह-1-डी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त

पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न संस्था को उपरोक्त अधिनियम की धारा-69 (1) के तहत परिसमापन किया जाकर धारा-70 के तहत परिसमापक की नियुक्ति कर दी जावे।

उक्त कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रत्युत्तर संचालक मण्डल के सदस्यों द्वारा सूचना-पत्र प्राप्ति के 30 दिवस के भीतर इस कार्यालय में अनिवार्यतः प्रस्तुत किया जावे, यदि अध्यक्ष/प्रबंधक संचालक मण्डल के सदस्यगण व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर प्रत्युत्तर प्रस्तुत करना चाहे तो दिनांक 26 अक्टूबर, 2015 को मेरे समक्ष कार्यालयीन समय में कार्यालय में उपस्थित होकर प्रत्युत्तर प्रस्तुत कर सकते हैं।

इस पत्र का प्रत्युत्तर इस कार्यालय में प्राप्त न होने पर यह माना जाकर कि संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु कोई आपत्ति नहीं है। सदस्य संस्था का परिसमापन चाहते हैं, संस्था को परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक की नियुक्ति कर दी जावेगी।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 22 सितम्बर, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(533-C)

### कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

संचालक मण्डल,

बजरंग बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., बड़ागांव,

पो. बड़ागांव, तहसील-देवेन्द्रनगर.

द्वारा:- अध्यक्ष, बजरंग बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., बड़ागांव.

इस सूचना-पत्र के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि सहायक पंजीयक (अंके.) सहकारी संस्थाएं, पन्ना द्वारा इस कार्यालय को लेख किया गया है कि संस्था द्वारा वर्ष 2013-14 का अंकेक्षण हेतु उनके द्वारा नियुक्त अंकेक्षक को अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये गये एवं और न ही संस्था के वित्तीय पत्रक निर्धारित अवधि में प्रस्तुत किये गये हैं। जिससे आपकी संस्था अंकेक्षण कराने में चूक कर रही है। इस प्रकार आपके द्वारा अधिनियम, नियम एवं उपविधियों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है। अतः बजरंग बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., बड़ागांव, जिला पन्ना (म.प्र.) पंजीयन क्रमांक/ए.आर.पी./643, दिनांक 30 मार्च, 2010 को निम्नलिखित कारणों से मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के तहत परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है:-

1. संस्था द्वारा निर्वाचन निर्धारित समयावधि में नहीं कराया गया है।
2. संस्था के संचालक मण्डल की बैठकें एवं वार्षिक आमसभा का आयोजन पंजीकृत उपविधि में वर्णित प्रावधानों के तहत नहीं की जा रही है।
3. संस्था द्वारा अपने सदस्यों के हितों के संबर्धन के लिये कोई रुचि नहीं ली जा रही है।
4. संस्था के अभिलेख तातीख संधारित नहीं कराये गये हैं, न ही अंकेक्षक को समय पर वित्तीय पत्रक आदि वर्ष 2013-14 के उपलब्ध कराये जा रहे हैं।

इस प्रकार सोसायटी ने मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं संस्था की उपविधियों का अनुपालन करना बंद कर दिया है, उपरोक्त कारणों से यह प्रतीत होता है कि संस्था अपने उद्देश्यों के अनुसार संस्था हित में कार्य नहीं कर रही है।

अतः मैं, जी. एस. आठिया, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, पन्ना, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-1-पन्द्रह-1-डी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न संस्था को उपरोक्त अधिनियम की धारा-69 (1) के तहत परिसमापन किया जाकर धारा-70 के तहत परिसमापक की नियुक्ति कर दी जावे।

उक्त कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रत्युत्तर संचालक मण्डल के सदस्यों द्वारा सूचना-पत्र प्राप्ति के 30 दिवस के भीतर इस कार्यालय में अनिवार्यतः प्रस्तुत किया जावे, यदि अध्यक्ष/प्रबंधक संचालक मण्डल के सदस्यगण व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर प्रत्युत्तर प्रस्तुत करना चाहे तो दिनांक 26 अक्टूबर, 2015 को मेरे समक्ष कार्यालयीन समय में कार्यालय में उपस्थित होकर प्रत्युत्तर प्रस्तुत कर सकते हैं।

इस पत्र का प्रत्युत्तर इस कार्यालय में प्राप्त न होने पर यह माना जाकर कि संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु कोई आपत्ति नहीं है। सदस्य संस्था का परिसमापन चाहते हैं, संस्था को परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक की नियुक्ति कर दी जावेगी।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 22 सितम्बर, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(533-D)

### कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

संचालक मण्डल,

विन्ध्यांचल बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या.,

सिलौना, पो. सिलौना, तहसील अजयगढ़.

द्वारा:- अध्यक्ष, विन्ध्यांचल बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., सिलौना.

इस सूचना-पत्र के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि सहायक पंजीयक (अंके.) सहकारी संस्थाएं, पन्ना द्वारा इस कार्यालय को लेख किया गया है कि संस्था द्वारा वर्ष 2013-14 से अंकेक्षण हेतु उनके द्वारा नियुक्त अंकेक्षक को अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये गये एवं और न ही संस्था के वित्तीय पत्रक निर्धारित अवधि में प्रस्तुत किये गये हैं. जिससे आपकी संस्था अंकेक्षण कराने में चूक कर रही है. इस प्रकार आपके द्वारा अधिनियम, नियम एवं उपविधियों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है. अतः विन्ध्यांचल बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., सिलौना, जिला पन्ना (म.प्र.) पंजीयन क्रमांक/ए.आर.पी./661, दिनांक 23 अगस्त, 2011 को निम्नलिखित कारणों से मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के तहत परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है:-

1. संस्था द्वारा निर्वाचन निर्धारित समयावधि में नहीं कराया गया है.
2. संस्था के संचालक मण्डल की बैठकें एवं वार्षिक आमसभा का आयोजन पंजीकृत उपविधि में वर्णित प्रावधानों के तहत नहीं की जा रही है.
3. संस्था द्वारा अपने सदस्यों के हितों के संबर्धन के लिये कोई रुचि नहीं ली जा रही है.
4. संस्था के अभिलेख तात्पर्य संधारित नहीं कराये गये हैं, न ही अंकेक्षक को समय पर वित्तीय पत्रक आदि वर्ष 2013-14 के उपलब्ध कराये जा रहे हैं.

इस प्रकार सोसायटी ने मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं संस्था की उपविधियों का अनुपालन करना बंद कर दिया है, उपरोक्त कारणों से यह प्रतीत होता है कि संस्था अपने उद्देश्यों के अनुसार संस्था हित में कार्य नहीं कर रही है.

अतः मैं, जी. एस. आठिया, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, पन्ना, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-1-पन्द्रह-1-डी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न संस्था को उपरोक्त अधिनियम की धारा-69 (1) के तहत परिसमापन किया जाकर धारा-70 के तहत परिसमापक की नियुक्ति कर दी जावे.

उक्त कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रत्युत्तर संचालक मण्डल के सदस्यों द्वारा सूचना-पत्र प्राप्ति के 30 दिवस के भीतर इस कार्यालय में अनिवार्यतः प्रस्तुत किया जावे, यदि अध्यक्ष/प्रबंधक संचालक मण्डल के सदस्यगण व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर प्रत्युत्तर प्रस्तुत करना चाहे तो दिनांक 26 अक्टूबर, 2015 को मेरे समक्ष कार्यालयीन समय में कार्यालय में उपस्थित होकर प्रत्युत्तर प्रस्तुत कर सकते हैं.

इस पत्र का प्रत्युत्तर इस कार्यालय में प्राप्त न होने पर यह माना जाकर कि संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु कोई आपत्ति नहीं है. सदस्य संस्था का परिसमापन चाहते हैं, संस्था को परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक की नियुक्ति कर दी जावेगी.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 22 सितम्बर, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(533-E)

जी. एस. आठिया,  
सहायक पंजीयक.

### कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला राजगढ़

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., खुजनेर, पंजीयन क्रमांक AR/RJH /423, दिनांक 09 अक्टूबर, 1987 को इस कार्यालय के सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2015/530, दिनांक 08 जुलाई, 2015 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र दिया गया था. निर्धारित अवधि समाप्त हो जाने के उपरान्त भी समिति की ओर से कोई उत्तर/स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं हुआ है, इससे प्रकट होता है कि समिति को इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है.

अतः मैं, मुकेश कुमार जैन, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला राजगढ़, मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-99/15/एफ-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., खुजनेर को इस आदेश के दिनांक से परिसमापन में लाता हूँ एवं अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के तहत श्री आर. एस. गुप्ता, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

(534)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., आसारटा पंवार, पंजीयन क्रमांक AR/RJH /306, दिनांक 03 फरवरी, 1984 को इस कार्यालय के सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2015/496, दिनांक 08 जुलाई, 2015 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र दिया गया था. निर्धारित अवधि समाप्त हो जाने के उपरान्त भी समिति की ओर से कोई उत्तर/स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं हुआ है, इससे प्रकट होता है कि समिति को इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है.

अतः मैं, मुकेश कुमार जैन, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला राजगढ़, मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-99/15/एफ-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., आसारटा पंवार को इस आदेश के दिनांक से परिसमापन में लाता हूँ एवं अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के तहत श्री एम. एस. सिसोदिया, पर्यवेक्षक दुग्ध संघ भोपाल को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

(534-A)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

मालवा रंगाई-छपाई उद्योग सहकारी समिति मर्या., सांगपुर, पंजीयन क्रमांक AR/RJH /398, दिनांक 25 अप्रैल, 1984 को इस कार्यालय के सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2015/522, दिनांक 08 जुलाई, 2015 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र दिया गया था. निर्धारित अवधि समाप्त हो जाने के उपरान्त भी समिति की ओर से कोई उत्तर/स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं हुआ है, इससे प्रकट होता है कि समिति को इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है.

अतः मैं, मुकेश कुमार जैन, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला राजगढ़, मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-99/15/एफ-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मालवा रंगाई-छपाई उद्योग सहकारी समिति मर्या., सांगपुर को इस आदेश के दिनांक से परिसमापन में लाता हूँ एवं अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के तहत श्री अब्दुल हनीफ अंसारी, वरिष्ठ निरीक्षक तकनीकी हाथकरघा सांगपुर को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

(534-B)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

अंसार बुनकर सहकारी समिति मर्या., तलेन, पंजीयन क्रमांक AR/RJH /11834, दिनांक 20 जून, 1997 को इस कार्यालय के सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2015/493, दिनांक 08 जुलाई, 2015 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र दिया गया था. निर्धारित अवधि समाप्त हो जाने के उपरान्त भी समिति की ओर से कोई उत्तर/स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं हुआ है, इससे प्रकट होता है कि समिति को इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है.

अतः मैं, मुकेश कुमार जैन, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला राजगढ़, मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-99/15/एफ-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अंसार बुनकर सहकारी समिति मर्या., तलेन को इस आदेश के दिनांक से परिसमापन में लाता हूँ एवं अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के तहत श्री तालीब मोहम्मद अंसारी, सहायक संचालक, हाथकरघा सांगपुर को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

(534-C)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

रजत जयन्ती हरिज बुनकर सहकारी समिति मर्या., सादलखेडी, पंजीयन क्रमांक AR/RJH /297, दिनांक 11 अगस्त, 1982 को इस कार्यालय के सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2015/489, दिनांक 08 जुलाई, 2015 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र दिया गया था. निर्धारित अवधि समाप्त हो जाने के उपरान्त भी समिति की ओर से कोई उत्तर/स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं हुआ है, इससे प्रकट होता है कि समिति को इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है.





[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

उपकार बुनकर सहकारी समिति मर्या., सांरगपुर, पंजीयन क्रमांक AR/BPL /456, दिनांक 18 फरवरी, 1994 को इस कार्यालय के सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2015/485, दिनांक 08 जुलाई, 2015 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र दिया गया था. निर्धारित अवधि समाप्त हो जाने के उपरान्त भी समिति की ओर से कोई उत्तर/स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं हुआ है, इससे प्रकट होता है कि समिति को इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है.

अतः मैं, मुकेश कुमार जैन, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला राजगढ़, मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-99/15/एफ-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपकार बुनकर सहकारी समिति मर्या., सांरगपुर को इस आदेश के दिनांक से परिसमापन में लाता हूँ एवं अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के तहत श्री तालीब मोहम्मद अंसारी, सहायक संचालक, हाथकरघा सांरगपुर को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

(534-L)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

माँ गायत्री साख सहकारी संस्था मर्या., तिन्दोनिया, पंजीयन क्रमांक AR/RJH /633, दिनांक 09 फरवरी, 1958 को इस कार्यालय के सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2015/497, दिनांक 08 जुलाई, 2015 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र दिया गया था. निर्धारित अवधि समाप्त हो जाने के उपरान्त भी समिति की ओर से कोई उत्तर/स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं हुआ है, इससे प्रकट होता है कि समिति को इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है.

अतः मैं, मुकेश कुमार जैन, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला राजगढ़, मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-99/15/एफ-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए माँ गायत्री साख सहकारी संस्था मर्या., तिन्दोनिया को इस आदेश के दिनांक से परिसमापन में लाता हूँ एवं अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के तहत श्री पी. सी. गुप्ता, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

(534-M)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

विवेकानन्द सहकारी उपभोक्ता भण्डार मर्या., खुजनेर, पंजीयन क्रमांक AR/RJH /547, दिनांक 06 दिसम्बर, 1991 को इस कार्यालय के सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2015/499, दिनांक 08 जुलाई, 2015 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र दिया गया था. निर्धारित अवधि समाप्त हो जाने के उपरान्त भी समिति की ओर से कोई उत्तर/स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं हुआ है, इससे प्रकट होता है कि समिति को इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है.

अतः मैं, मुकेश कुमार जैन, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला राजगढ़, मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-99/15/एफ-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए विवेकानन्द सहकारी उपभोक्ता भण्डार मर्या., खुजनेर को इस आदेश के दिनांक से परिसमापन में लाता हूँ एवं अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के तहत श्री पुरुषोत्तम शर्मा, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

मुकेश कुमार जैन

उप-पंजीयक.

(534-N)





# मध्यप्रदेश राजपत्र

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 42 ]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 16 अक्टूबर 2015-आश्विन 24, शके 1937

### भाग 3 ( 2 )

#### सांख्यिकीय सूचनाएं

#### कार्यालय आयुक्त, भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश

मौसम, फसल एवं पशु-स्थिति का साप्ताहिक प्रतिवेदन, सप्ताहान्त बुधवार, दिनांक 17 जून, 2015

1. **मौसम एवं वर्षा.**—राज्य में इस सप्ताह आकाश मेघाच्छादित रहा है तथा राज्य के अधिकांश जिलों में वर्षा का होना पाया गया है.

(अ) 0.1 मि. मी. से 17.4 मि. मी. तक.—तहसील श्योपुर (श्योपुर), भिण्ड, मिहोना (भिण्ड), ग्वालियर, डबरा (ग्वालियर), सेंवड़ा (दतिया), शिवपुरी, खनियाधाना (शिवपुरी), आरोन (गुना), निवाड़ी, जतारा, टीकमगढ़, ओरछा (टीकमगढ़), पन्ना, गुन्नौर, शाहनगर (पन्ना), बीना, खुरई, राहतगढ़ (सागर), मझगवां, रामपुर-वधेलान, अमरपाटन, रामनगर (सतना), सोहागपुर, ब्यौहारी, जैसिंगनगर (शहडोल), जैतहरी, कोतमा (अनूपपुर), बांधवगढ़ (उमरिया), गोपदबनास, कुसमी, रामपुरनैकिन (सीधी), मल्हारगढ़, धुन्धड़का, संजीत (मंदसौर), नीमच (नीमच), मेघनगर, पेटलावद, झाबुआ, राणापुर (झाबुआ), सरदारपुर (धार), कुरवाई, बासोदा, ग्यारसपुर (विदिशा), रायसेन, गोहरगंज, बरेली, बाड़ी (रायसेन), बाबई, इटारसी, पिपरिया (होशंगाबाद), मझौली, कुंडम (जबलपुर), कटनी, विजयराघवगढ़, बहोरीबंद, बड़वारा (कटनी), निवास, नैनपुर, नारायणगंज (मण्डला), शाहपुरा (डिण्डोरी), कुरई, घनोरा (सिवनी) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

(ब) 17.5 मि. मी. से 34.9 मि. मी. तक.—तहसील अटेर (भिण्ड), भितरवार (ग्वालियर), दतिया (दतिया), कोलारस, बदरवास (शिवपुरी), पलेरा (टीकमगढ़), पवई (पन्ना), बण्डा, सागर, देवरी, मालथोन, शाहगढ़ (सागर), रघुराजनगर, उचेहरा, मैहर (सतना), जैतपुर (शहडोल), अनूपपुर (अनूपपुर), पाली (उमरिया), मंदसौर (मंदसौर), खकनार (बुरहानपुर), खिलचीपुर, ब्यावरा (राजगढ़), लटेरी, गुलाबगंज (विदिशा), सीहोर (सिहोर), गैरतगंज (रायसेन), सिवनी-मालवा, होशंगाबाद (होशंगाबाद), जबलपुर (जबलपुर), रीठी, ढीमरखेड़ा (कटनी), बजाग (डिण्डोरी), तामिया, सोंसर, पांडुर्ना (छिन्दवाड़ा), लखनादौन (सिवनी) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

(स) 35.0 मि. मी. से 53.1 मि. मी. तक.—तहसील पोहरी (शिवपुरी), बमोरी, चाचोड़ा (गुना), रेहली, केसली (सागर), नागौद (सतना), बुढार, गोहपारू (शहडोल), पुष्पराजगढ़ (अनूपपुर), सुबासराटप्पा, भानपुर, सीतामऊ, कयामपुर (मंदसौर), जावद, मनासा (नीमच), नागदा (उज्जैन), कट्टीवाड़ा (अलीराजपुर), खरगौन (खरगौन), नेपानगर (बुरहानपुर), राजगढ़, सारंगपुर (राजगढ़), सिरोंज (विदिशा), बैरसिया (भोपाल), आमला (बैतूल), बरही (कटनी), जुन्नारदेव, बिछुआ, मोहखेड़ा (छिन्दवाड़ा), घंसोर, छपारा (सिवनी) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

(द) 53.2 मि. मी. से 244.9 मि. मी. तक.—तहसील गुना, राधोगढ़, कुंभराज (गुना), गढ़ाकोटा (सागर), गरोठ, श्यामगढ़ (मंदसौर),

जावरा, आलोट, सैलाना, बाजना, पिपलौदा, रतलाम (रतलाम), खाचरौद, महिदपुर, तराना, उज्जैन, बड़नगर (उज्जैन), जोवट, अलीराजपुर, सोण्डवा, उदयगढ़, च.शेखर आजाद नगर (अलीराजपुर), बदनावर, धार, कुक्षी, मनावर, धरमपुरी, गंधवानी, डही (धार), बड़वाह, महेश्वर, सेगांव, गोगांवा, कसरावद, भगवानपुरा, भीकनगांव, झिरन्या (खरगौन), बुरहानपुर, (बुरहानपुर), जीरापुर, नरसिंहगढ़ (राजगढ़), विदिशा (विदिशा), बैरागढ़ (भोपाल), आष्टा, इछावर, नसरुल्लागंज (सीहोर), बेगमगंज, सिलवानी, उदयपुरा (रायसेन), भैंसदेही, घोड़ाडोंगरी, शाहपुर, चिचोली, बैतूल, मुल्ताई, आठनेर (बैतूल), सोहागपुर, वनखेड़ी, पचमढ़ी (होशंगाबाद), सीहोरा (जबलपुर), बिछिया, मण्डला (मण्डला), डिण्डोरी (डिण्डोरी), छिन्दवाड़ा, परासिया, अमरवाड़ा, चौरई, हरई (छिन्दवाड़ा), सिवनी, केवलारी, बरघाट (सिवनी) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है।

( ड ) 245.0 मि. मी. से 450 मि. मी. तक.—तहसील घटिया (उज्जैन) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है।

2. जुताई.— जिला ग्वालियर, सागर, रीवा, शहडोल, अनूपपुर, मंदसौर, देवास, झाबुआ, धार, भोपाल, सीहोर, रायसेन, बैतूल, होशंगाबाद, जबलपुर, कटनी, डिण्डोरी व सिवनी में खरीफ फसलों की जुताई का कार्य कहीं-कहीं चालू है।

3. बोनी.—जिला शहडोल, उज्जैन, देवास, धार, खरगौन, बुरहानपुर, सीहोर, रायसेन, बैतूल, सिवनी में खरीफ फसलों की बोनी का कार्य कहीं-कहीं चालू है।

4. फसल स्थिति.—

5. कटाई.—

6. सिंचाई.—जिला ग्वालियर, टीकमगढ़, सागर, अनूपपुर, उमरिया, नीमच, बड़वानी, जबलपुर में सिंचाई हेतु पानी कहीं-कहीं अपर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है।

7. पशुओं की स्थिति.—राज्य के प्रायः सभी जिलों में पशुओं की स्थिति संतोषप्रद है।

8. चारा.—राज्य के प्रायः सभी जिलों में चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है।

9. बीज.—राज्य के प्रायः सभी जिलों में बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है।

10. खेतिहर श्रमिक.—राज्य के प्रायः सभी जिलों में खेतिहर श्रमिक पर्याप्त संख्या व उचित दर पर उपलब्ध हैं।

## मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक सूचना-पत्रक, सप्ताहांत बुधवार, दिनांक 17 जून, 2015

जिला/तहसीलें	1.सप्ताह में हुई वर्षा:- (अ) वर्षा का माप (मि.मी.) में (ब) वर्षा कम है या बहुत अधिक.	2. कृषि कार्यों की प्रगति तथा उन पर वर्षा का प्रभाव:- (अ) प्रारम्भिक जुताई पर. (ब) बोनी पर. (स) रोपाई पर, अगर धान की रोपाई होती हो. (द) खड़ी फसल पर, रोग व कीड़ों के आक्रमण के असर का वर्णन सहित. (य) कटी हुई फसल पर.	3. अन्य असामयिक घटना और उसका फसलों पर प्रभाव. 4. खड़ी फसल का व्यापक रूप से अनुमान, गत वर्ष की तुलना में :- (1) फसल का क्षेत्रफल - (अ) अधिक, समान या कम. (ब) प्रतिशत. (2) फसल की हालत- (अ) सुधरी हुई, समान या बिगड़ी हुई. (ब) प्रतिशत.	5. सिंचाई के लिये पानी ( कम अथवा अधिक). 6. पशुओं की हालत तथा चारे की प्राप्ति.	7. बीज की प्राप्ति. 8. कृषि-सम्बन्धी मजदूरों की प्राप्ति.
1	2	3	4	5	6
<b>जिला मुरैना :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. अम्बाह	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पोरसा	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. मुरैना	..				
4. जौरा	..				
5. सबलगाढ़	..				
6. कैलारस	..				
<b>जिला श्योपुर :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. श्योपुर	13.0		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. कराहल	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. विजयपुर	..				
<b>जिला भिण्ड :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. अटेर	18.0		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. भिण्ड	15.0		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. गोहद	..				
4. मेहगांव	..				
5. लहार	..				
6. मिहोना	1.0				
7. रौन	..				
<b>जिला ग्वालियर :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. ..	5. अपर्याप्त.	7. ..
1. ग्वालियर	2.4		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. डबरा	9.4		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. भितरवार	22.0				
4. घाटीगांव	..				
<b>जिला दतिया :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. पर्याप्त.
1. सेवदा	4.0		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. दतिया	20.0		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. भाण्डेर	..				
<b>जिला शिवपुरी :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. शिवपुरी	12.0		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पिछोर	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. खनियाधाना	10.0				
4. नरवर	..				
5. करैरा	..				
6. कोलारस	23.0				
7. पोहरी	35.0				
8. बदरवास	28.0				

1	2	3	4	5	6
<b>*जिला अशोकनगर:</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. मुँगावली	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
2. ईसागढ़	..		(2) ..		
3. अशोकनगर	..				
4. चन्देरी	..				
5. शाढौरा	..				
<b>जिला गुना :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. गुना	67.8		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. राघोगढ़	85.0		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. बमोरी	35.0				
4. आरोन	5.0				
5. चाचौड़ा	38.0				
6. कुम्भराज	66.0				
<b>जिला टीकमगढ़ :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. निवाड़ी	10.0		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पृथ्वीपुर	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. जतारा	16.0				
4. टीकमगढ़	10.0				
बल्देवगढ़	..				5.
6. पलेरा	19.0				
7. ओरछा	3.0				
<b>*जिला छतरपुर :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. लवकुशनगर	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
2. गौरीहार	..		(2) ..		
3. नौगांव	..				
4. छतरपुर	..				
5. राजनगर	..				
6. बिजावर	..				
7. बड़ामलहरा	..				
8. बक्स्वाहा	..				
<b>जिला पन्ना :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. ..
1. अजयगढ़	..		4. (1) मूँग, जौ, राई-सरसों, अलसी, प्याज	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पन्ना	10.0		अधिक. धान, ज्वार, बाजरा, मक्का,	चारा पर्याप्त.	
3. गुन्नौर	8.0		तुअर, उड़द, सोयाबीन, तिल, गेहूँ,		
4. पवई	20.0		चना, मसूर, आलू कम.		
5. शाहनगर	10.1		(2) ..		
<b>जिला सागर :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. ..	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बीना	16.2		4. (1) गेहूँ, जौ, चना, मटर, मसूर, तिवड़ा,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खुरई	1.5		राई-सरसों, अलसी, आलू, प्याज	चारा पर्याप्त.	
3. बण्डा	29.6		समान.		
4. सागर	30.6		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
5. रेहली	35.5				
6. देवरी	24.0				
7. गढ़ाकोटा	74.0				
8. राहतगढ़	4.0				
9. केसली	50.0				
10. मालथोन	18.2				
11. शाहगढ़	25.0				

1	2	3	4	5	6
<b>जिला दमोह :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. ..	7. पर्याप्त.
1. हटा	..		4. (1) मूंग, उड़द, गन्ना.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. बटियागढ़	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. दमोह	..				
4. पथरिया	..				
5. जवेरा	..				
6. तेन्दूखेड़ा	..				
7. पटेरा	..				
<b>जिला सतना :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. ..	7. ..
1. रघुराजनगर	20.1		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. मझगवां	15.0		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. ग्रामपुर-बधेलान	4.0				
4. नागौद	50.0				
5. उचेहरा	21.0				
6. अमरपाटन	7.0				
7. रामनगर	4.0				
8. मैहर	18.0				
9. बिरसिंहपुर	..				
<b>जिला रीवा :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. त्योंथर	..		4. (1) गेहूँ, चना, जौ, राई-सरसों अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सिरमौर	..		मसूर, अलसी, अरहर समान.	चारा पर्याप्त.	
3. मऊगांज	..		(2) ..		
4. हनुमना	..				
5. हजूर	..				
6. गुढ़	..				
7. रायपुरकचुलियान	..				
<b>जिला शहडोल :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. ..	7. पर्याप्त.
1. सोहागपुर	8.0		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. ब्यौहारी	11.0		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. बुढार	38.1				
4. जैसिंहनगर	5.0				
6. गोहपारू	40.0				
7. जैतपुर	26.0				
<b>जिला अनूपपुर :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जैतहरी	5.6		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. अनूपपुर	34.8		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. कोतमा	6.8				
4. पुष्पराजगढ़	36.0				
<b>जिला उमरिया :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बांधवगढ़	14.2		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पाली	21.0		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. मानपुर	..				

1	2	3	4	5	6
<b>जिला सीधी :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. ..	7. ..
1. गोपदवनास	16.4		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सिहावल	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. मझौली	..				
4. कुसमी	4.0				
5. चुरहट	..				
6. रामपुरनैकिन	0.7				
<b>जिला सिंगरौली :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. ..	7. ..
1. चितरंगी	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. देवसर	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. सिंगरौली	..				
<b>जिला मन्दसौर :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. ..	5. ..	7. पर्याप्त.
1. सुवासरा-टप्पा	46.0		4. (1) ..	6. संतोषप्रद	8. पर्याप्त.
2. भानपुरा	35.4		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. मल्हारगढ़	10.0				
4. गरोठ	79.2				
5. मन्दसौर	24.0				
6. श्यामगढ़	90.0				
7. सीतामऊ	37.6				
8. धुन्धड़का	15.0				
9. संजीत	6.0				
10. कयामपुर	52.0				
<b>जिला नीमच :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जावद	35.4		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. नीमच	14.0		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. मनासा	37.0				
<b>जिला रतलाम :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जावरा	126.4		4. (1) गेहूँ, चना, कपास समान.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. आलोट	106.0		(2) उपरोक्त फसलें समान.	चारा पर्याप्त.	
3. सैलाना	68.0				
4. बाजना	65.0				
5. पिपलौदा	175.0				
6. रतलाम	78.6				
<b>जिला उज्जैन :</b>	मिलीमीटर	2. बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. ..	7. पर्याप्त.
1. खाचरौद	131.0		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. महिदपुर	92.0		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. तराना	118.0				
4. घटिया	250.0				
5. उज्जैन	213.0				
6. बड़नगर	102.0				
7. नागदा	52.0				
<b>जिला आगर :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. बड़ौद	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सुसनेर	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. नलखेड़ा	..				
4. आगर	..				
<b>जिला शाजापुर :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. मो. बड़ोदिया	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद.	8. पर्याप्त.
2. शाजापुर	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. शुजालपुर	..				
4. कालापीपल	..				
5. गुलाना	..				

1	2	3	4	5	6
<b>जिला देवास :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. . .	7. पर्याप्त.
1. सोनकच्छ	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. टोंकखुर्द	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. देवास	..				
4. बागली	..				
5. कन्नौद	..				
6. खातेगांव	..				
<b>जिला झाबुआ :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. . .	7. पर्याप्त.
1. थांदला	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. मेघनगर	4.0		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. पेटलावद	1.3				
4. झाबुआ	0.5				
5. राणापुर	10.0				
<b>जिला अलीराजपुर :</b>	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जोवट	135.0		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. अलीराजपुर	128.8		(2) ..	..	
3. कट्टीवाड़ा	45.6				
4. सोण्डवा	157.0				
5. उदयगढ़	120.4				
6. चं.शेखरआ. नगर	104.9				
<b>जिला धार :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई एवं खरीफ की बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बदनावर	96.0		4. (1) गन्ना अधिक. गेहूँ, चना, कम.	6. संतोषप्रद.	8. पर्याप्त.
2. सरदारपुर	14.1		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. धार	67.4				
4. कुक्षी	130.7				
5. मनावर	74.0				
6. धरमपुरी	123.0				
7. गंधवानी	100.0				
8. डही	98.0				
<b>जिला इन्दौर :</b>	मिलीमीटर	2. खरीफ फसलों की बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. देपालपुर	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सांवेर	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. इन्दौर	..				
4. महु	..				
(डॉ. अम्बेडकरनगर)					
<b>जिला खरगौन :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई की बोनी का कार्य चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बड़वाह	197.8		4. (1) मक्का, बाजरा, कपास, मूंगफली,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. महेश्वर	84.6		अलसी, राई-सरसों, अधिक. ज्वार,	चारा पर्याप्त.	
3. सेगांव	86.0		धान, तुअर, गेहूँ, चना कम.		
4. खरगौन	37.0		(2) ..		
5. गोगावां	94.9				
6. कसरावद	73.2				
7. भगवानपुरा	54.2				
8. भीकनगांव	169.0				
9. झिरन्या	109.0				

1	2	3	4	5	6
<b>जिला बड़वानी :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बड़वानी	..		4. (1) गन्ना अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. ठीकरी	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. राजपुर	..				
4. सेंधवा	..				
5. पानसेमल	..				
6. पाटी	..				
7. निवाली	..				
<b>*जिला खण्डवा :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. खण्डवा	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
2. पंधाना	..		(2) ..		
3. हरसूद	..				
<b>जिला बुरहानपुर :</b>	मिलीमीटर	2. खरीफ फसलों की बोनी का कार्य चालू है.	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बुरहानपुर	69.0		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खकनार	23.2		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. नेपानगर	37.0				
<b>जिला राजगढ़ :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जीरापुर	161.5		4. (1) गेहूँ, चना, जौ, सरसों, मसूर	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खिलचीपुर	20.6		अधिक. गन्ना समान.	चारा पर्याप्त.	
3. राजगढ़	44.2		(2) ..		
4. ब्यावरा	34.0				
5. सारंगपुर	50.0				
6. पचोर	..				
7. नरसिंहगढ़	116.0				
<b>जिला विदिशा :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. लटेरी	31.0		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सिरोंज	35.0		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. कुरवाई	15.0				
4. बासौदा	11.0				
5. नटेरन	..				
6. विदिशा	54.9				
7. गुलाबगंज	33.0				
8. ग्यारसपुर	13.0				
<b>जिला भोपाल :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बैरसिया	36.6		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. बेरागढ़	99.9		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
<b>जिला सीहोर :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. ..	5. ..	7. ..
1. सीहोर	26.50		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. आष्टा	100.00		(2) ..	..	
3. इछावर	97.0				
4. नसरुल्लागंज	82.0				
5. बुधनी	..				



1	2	3	4	5	6
<b>जिला रायसेन :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. रायसेन	8.8				
2. गैरतगंज	31.8				
3. बेगमगंज	81.0				
4. गौहरगंज	10.0				
5. बरेली	2.0				
6. सिलवानी	98.0				
7. बाड़ी	11.0				
8. उदयपुरा	133.0				
<b>जिला बैतूल :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) गेहूँ, मसूर, चना अधिक. (2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुईं.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. भैंसदेही	156.8				
2. घोड़ाडोंगरी	55.6				
3. शाहपुर	79.2				
4. चिचोली	81.6				
5. बैतूल	65.6				
6. मुलताई	107.2				
7. आठनेर	69.8				
8. आमला	41.0				
<b>जिला होशंगाबाद :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सिवनी-मालवा	34.2				
2. होशंगाबाद	18.3				
3. बावई	15.0				
4. इटारसी	17.0				
5. सोहागपुर	58.0				
6. पिपरिया	15.3				
7. वनखेड़ी	58.0				
8. पचमढी	87.4				
<b>*जिला हरदा :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. ..	7. .. 8. ..
1. हरदा	..				
2. खिड़किया	..				
3. टिमरनी	..				
<b>जिला जबलपुर :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) मूंग अधिक. उड़द कम. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सीहोरा	57.2				
2. पाटन	..				
3. जबलपुर	18.2				
4. मझौली	14.3				
5. कुण्डम	17.4				
<b>जिला कटनी :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. कटनी	0.6				
2. रीठी	30.0				
3. विजयराघवगढ़	16.5				
4. बहोरीबंद	10.6				
5. ढीमरखेड़ा	30.0				
6. बड़वारा	5.0				
7. बरही	37.0				

1	2	3	4	5	6
<b>*जिला नरसिंहपुर :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. गाडरवारा	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
2. करेली	..		(2) ..		
3. नरसिंहपुर	..				
4. गोटेगांव	..				
5. तेन्दूखेड़ा	..				
<b>जिला मण्डला :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. निवास	11.0		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. बिछिया	64.7		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. नैनपुर	12.3				
4. मण्डला	124.6				
5. घुघरी	..				
6. नारायणगंज	6.3				
<b>जिला डिण्डोरी :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. ..	5. ..	7. पर्याप्त.
1. डिण्डोरी	53.2		4. (1) तुअर बिगड़ी हुई. राई-सरसों, गेहूँ,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. बजाग	29.2		चना, मसूर, अलसी, मटर समान.	चारा पर्याप्त.	
3. शाहपुरा	16.6		(2) ..		
<b>जिला छिन्दवाड़ा :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. छिन्दवाड़ा	68.8		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. जुन्नारदेव	52.2		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. परासिया	102.6				
4. जामई (तामिया)	18.0				
5. सोंसर	29.8				
6. पांढुर्णा	26.4				
7. अमरवाड़ा	147.9				
8. चौरई	211.2				
9. बिछुआ	44.6				
10. हरई	57.6				
11. मोहखेड़ा	45.0				
<b>जिला सिवनी :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. ..	5. ..	7. पर्याप्त.
1. सिवनी	76.6		4. (1) धान, मक्का, तुअर, उड़द, मूंग,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. केवलारी	53.8		मूंगफली, गन्ना, अधिक ज्वार, कोदो-	चारा पर्याप्त.	
3. लखनादौन	30.8		कुटकी, सोयाबीन, गेहूँ, मटर, मसूर,		
4. बरघाट	119.3		लाख, तिवड़ा, अलसी, राई-सरसों		
5. उरई	17.0		कम. तिल, सन्, चना समान.		
6. घंसौर	35.0		(2) ..		
7. घनोरा	5.10				
8. छपारा	41.0				
<b>जिला बालाघाट :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बालाघाट	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. लौंजी	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. बैहर	..				
4. वारासिवनी	..				
5. कटंगी	..				
6. किरनापुर	..				

टीप.— \*जिला अशोकनगर, छतरपुर, खण्डवा, हरदा, नरसिंहपुर जिलों से पत्रक अप्राप्त रहे हैं.

राजीव रंजन,

आयुक्त,

भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश.

(528)